

पैतृक संपत्तिको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रलिस के लयि:

पैतृक संपत्तिको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, [मत्ताकषरा कानून](#), शून्य ववाह, हद्वि ववाह अधनियम, 1955, [हद्वि अवभाजति परवार](#), दायभाग कानून

मेन्स के लयि:

पैतृक संपत्तिको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने फैसला सुनाया है क शून्य अथवा अमान्य ववाह से पैदा हुए बच्चे [मत्ताकषरा कानून](#) के तहत संयुक्त हद्वि परवार की संपत्ति में अपने माता-पता का हसिसा प्राप्त कर सकते हैं ।

- हालाँक इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कये बच्चे परवार में कसी अन्य व्यक्तकी संपत्ति में अथवा उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे ।

नोट:

- शून्य ववाह:** यह ऐसा ववाह है जो शुरु में वैध होता है लेकनि यदकोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे तो इसमें व्याप्त कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रद्द कर सकता/सकती है ।
- अमान्य ववाह:** यह वह ववाह है जसिे शुरु से ही अमान्य माना जाता है जैसे क यह कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में ही नहीं था ।

पृष्ठभूमि:

- रेवनासद्विदप्पा बनाम मल्लकार्जुन, 2011** वाद में यह फैसला दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दिया गया था, जसिमें कहा गया था क अमान्य/शून्य ववाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पता की संपत्तिको प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्ति स्व-अर्जति हो अथवा पैतृक ।
 - यह मामला [हद्वि ववाह अधनियम, 1955](#) की धारा 16(3) में संशोधति प्रावधान से संबंधति था ।
- इस फैसले ने ऐसे बच्चों के वरिसत/पैतृक संपत्तिसंबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- वरिसत हसिसेदारी का नरिधारण:**
 - शून्य अथवा अमान्य ववाह से कसी बच्चे के लयि वरिसत में हसिसा प्रादान करने की दशा में पहला कदम **पैतृक संपत्ति में उनके माता-पता की सटीक हसिसेदारी का पता लगाना है ।**
 - इस नरिधारण में पैतृक संपत्तिका "**काल्पनकि वभाजन (Notional Partition)**" करना शामिल है ताकउस हसिसे की गणना की जा सके जो माता-पता को उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त हुआ होगा ।
- वरिसत का कानूनी आधार:**
 - हद्वि ववाह अधनियम, 1955** की धारा 16 शून्य या अमान्य ववाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रादान करने में अहम भूमिका नभाती है,यह ऐसे बच्चों की अपने माता-पता की संपत्ति पर अधिकार नरिधारति करती है ।

■ **समान वरिासत अधकार:**

- हदु उत्तराधकार अधननननन, 1956 जो पैतृक संपत्तको वनननननन करता है, के तहत शून्य या अमान्य वववव से हुए बच्चों को वैध परजन" माना जाता है ।
- जब पारवारके संपत्तवरिासत में मलने की बात आती है तो उन्हें नाजायज़ नहीं माना जा सकता ।

■ **हदु उत्तराधकार (संशोधन) अधननननन, 2005 का प्रभाव:**

- न्यायालय ने कहा कववष 2005 में हदु उत्तराधकार (संशोधन) अधननननन के लागू होने के बाद मताकषरा कानून द्वारा शासत संयुक्त हदु परवार में एक मृत वयक्तका हससा वसीयत अथवा वनी वसीयत के उत्तराधकार द्वारा प्राप्त कथा जा सकता है ।
- इस संशोधन ने उत्तरजीवता से परे वरिासत के दायरे का वसतार कथा और महिलाओं तथा पुरुषों को समान उत्तराधकार अधकार प्रदान कथा ।

नोट: जून 2022 में कट्टुकंडी एडाथल कृषण तथा अन्य बनाम कट्टुकंडी एडाथल वालसन और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया क लव-इन रलेशनशपि में पारटनर से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जा सकता है । यह एक तरह से सशरत है क संबंध दीर्घकालके होना चाहये, न क 'आकस्मके' प्रकृता क ।

बेटी की वरिासत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:

■ **अरुणाचल गौडर बनाम पोननुसामी, 2022:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना क वनी वसीयत के मरने वाले हदु पुरुष की स्व-अरजत संपत्त, वरिासत द्वारा हस्तांतरत होगी, न क उत्तराधकार द्वारा ।
- इसके अलावा न्यायालय ने कहा क ऐसी संपत्त बेटी को वरिासत में मलेंगी, जो क बँटवारे के माध्यम से प्राप्त सहदायके संपत्त के अलावा होगी ।

■ **वनीता शरमा बनाम राकेश शरमा, 2020**

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क एक महिला/बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधकारी माना जाएगा और वह पैतृक संपत्त को पुरुष उत्तराधकारी के समान ही प्राप्त कर सकती है, भले ही हदु उत्तराधकार (संशोधन) अधननननन, 2005 के प्रभाव में आने से पहले पता जीवत नहीं था ।

मताकषरा कानून:

■ **परचय:**

- मताकषरा कानून एक कानूनी और पारंपरिक हदु कानून प्रणाली है जो मुख्य रूप से हदु अवभाजत परवार (HUF) के सदस्यों के बीच वरिासत और संपत्त के अधकारों के नयनों को नयंतरत करती है ।
 - यह हदु कानून के दो प्रमुख स्कूलों में से एक है, दूसरा दायभाग स्कूल है ।
- उत्तराधकार का मताकषरा कानून पश्चमि बंगाल और असम को छोडकर पूरे देश में लागू होता है ।

हदु वधयों के प्रकार

मताकषरा कानून	दायभाग कानून
मताकषरा शब्द याज्जवलक्य स्मृतपर वज्जानेश्वर द्वारा लखी गई एक टपिपणी के नाम से लया गया है ।	एक पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकन उसे अपने पता और बेटों के बीच कसी भी बँटवारे में हससेदारी का अधकार है ।
इसका अनुसरण भारत के सभी भागों में कया जाता है तथा बनारस, मथिला, महाराष्टर और दरवडि स्कूलों में वभाजत है ।	इसका अनुसरण बंगाल और असम में कया जाता है ।
एक सहदायके का हससा परभाषत नहीं है और इसका नपिटान नहीं कया जा सकता है ।	एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामतव का कोई अधकार नहीं होता है, लेकन वह इसे अपने पता की मृत्यु पर प्राप्त करता है ।
सभी सदस्य पता के जीवनकाल के दौरान सहदायके अधकार प्राप्त करते हैं ।	पता के जीवत रहने पर पुत्रों को सहदायके अधकार प्राप्त नहीं होते हैं ।
एक सहदायके का हससा परभाषत नहीं है और इसका नपिटान नहीं कया जा सकता है ।	प्रत्येक सहदायके का हससा परभाषत कया गया है और उसका नपिटान कया जा सकता है ।
एक पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकन उसे अपने पता और बेटों के बीच कसी भी बँटवारे में हससेदारी का अधकार है ।	यहाँ महिलाओं के लय समान अधकार मौजूद नहीं है क्योंक बेटे वभाजन की मांग नहीं कर सकते क्योंक पता पूर्ण मालके है ।

UPSC सवल सेवा परीक्षा, वगत वष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2021)

1. मतिाक्षरा ऊँची जातकी सविलि वधिथी और दायभाग नमिन जातकी सविलि वधिथी ।
2. मतिाक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पति के जीवनकाल में ही संपत्तिपर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पति की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्तिपर अधिकार का दावा कर सकते थे ।
3. मतिाक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर वचिार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों, दोनों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर वचिार करती है ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

वज्रानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृतिपर लिखी गई टीका मतिाक्षरा पूरे देश में (बंगाल, असम तथा उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहाँ दायभाग व्यवस्था लागू थी) संपत्ति के अधिकार के लिये कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी । मतिाक्षरा और दायभाग जातिभेद नहीं करती थी, यानी ऊँची या नीची जाति के लिये नहीं लिखी गई थी । अतः कथन 1 सही नहीं है ।

मतिाक्षरा व्यवस्था में पति के जीवित रहते पुत्र, पति की संपत्तिमें अधिकार का दावा कर सकता था जबकि दायभाग पति की मृत्यु के पश्चात् ऐसे किसी दावे पर वचिार करती थी । अतः कथन 2 सही है ।

मतिाक्षरा और दायभाग स्त्री-पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर वचिार व्यक्त करते हैं । अतः कथन 3 सही नहीं है ।

अतः विकल्प (b) सही है ।